2025:CGHC:42766

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 943/2019

1. मुकुंद केशव पाण्डेय पिता स्व. श्री हुतासन प्रसाद, आयु लगभग 55 वर्ष, जाति ब्राह्मण।
2. मुन्नी पाण्डेय पति मुकुंद केशव पाण्डेय, आयु लगभग 52 वर्ष, जाति ब्राह्मण।

दोनों निवासी: ग्राम पण्डातराई, तहसील पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़। वर्तमान निवासी: पोड़ी उपरोड़ा, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थीगण/आवेदक–दावाकर्तागण

विरुद्ध

1. नितीश गोंड, पिता द्वारिका प्रसाद, आयु लगभग 22 वर्ष, जाति गोंड, निवासी: ग्राम खुर्सीपार, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। **(वाहन चालक)**
2. सतीश पाठक, पिता स्व. काशीनाथ पाठक, निवासी: ग्राम मकान नंबर 1, के.एल.सी. ब्लॉक जोन–2, खुर्सीपार भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। **(वाहन स्वामी)**
3. शाखा प्रबंधक, चोलामंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिमरन टॉवर, एल.आई.सी. बिल्डिंग के पीछे, पंडरी रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। **(बीमाकर्ता)**

--- प्रत्यर्थीगण/अनावेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री एफ.एस. खरे, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से : सुश्री सृष्टि उपाध्याय, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर निर्णय

22/08/2025

1. यह अपील अपीलार्थी–दावाकर्तागण ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त में "1988 का अधिनियम") की धारा 173 के अधीन विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ (संक्षिप्त में "दावा अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 103/2017 में दिनांक 30.04.2019 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान दावा अधिकरण ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया था।

2. इस अपील के निराकरण हेतु प्रकरण के आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.12.2016 को सुबह लगभग 7:00 बजे, कोरबा–चांपा मुख्य मार्ग पर, प्रदीप पाण्डेय उर्फ बबलू पिक–अप वाहन क्रमांक

CG 12/AP–5396 को कोरबा से चांपा की ओर चला रहा था, तभी गलत दिशा से आ रहे माजदा 1109 ट्रक क्रमांक CG 07/CA–8772 (एतस्मिन पश्चात जिसे "दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन" कहा जाएगा), जिसे नीतीश गोंड द्वारा कथित तौर पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, ने पिक–अप को टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप, प्रदीप पाण्डेय के सिर, सीने, पैरों और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

3. मृतक प्रदीप पाण्डेय के माता–पिता, अपीलार्थी– दावाकर्तागण ने अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन ₹ 99,60,000/– के प्रतिकर की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिवचन किया गया कि दुर्घटना से पूर्व मृतक लगभग 28 वर्ष की आयु का शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति था। वह शासकीय छात्रावास, मचाडोली में चौकीदार के रूप में कार्यरत था और ₹ 6,000/– प्रति माह कमा रहा था।

4. अपने जवाब में,अनावेदक क्रमांक 1 व 2/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 ने दावे का खंडन किया और तर्क किया कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के पास वैध दस्तावेज थे और चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति था, इसलिए बीमा पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और यदि कोई दायित्व बनता है, तो वह बीमाकर्ता का होगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मृतक स्वयं बिना वैध चालन–अनुज्ञप्ति के उतावलेपन से वाहन चला रहा था, सामने से आते ट्रक को देखकर नियंत्रण खो दिया और उसका वाहन पलट गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. प्रत्यर्थी क्रमांक 3/ अनावेदक क्रमांक 6–बीमा कंपनी ने इस आधार पर दायित्व से इनकार किया कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन क्रमांक CG 07/CA–8772 के चालक और स्वामी के पास दुर्घटना के समय वैध चालन–अनुज्ञप्ति, पंजीयन, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, और इस प्रकार बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

6. अपीलार्थी–दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि दावा अधिकरण ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन दायर दावा आवेदन को यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए खारिज करने में त्रुटि की है कि दावाकर्ता अन्य वाहन के चालक की ओर से उपेक्षा साबित करने में असफल रहे हैं। अधिकरण ने साक्षी आ.सा.–2 के साक्ष्य पर अविश्वास किया, जो वाहन में सवार व्यक्तियों में से एक था, और विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों का अवलंब लिया। उन्होंने तर्क किया कि दाण्डिक प्रकरण नीतीश गोंड की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था, जो माजदा ट्रक (दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन) का चालक था । वह अन्य वाहन जिसके साथ मृतक द्वारा चलाए जा रहे पिकअप वाहन की टक्कर हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप है कि मृतक ने अपना पिकअप वाहन उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए गलत दिशा में आकर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को

टक्कर मारी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु या अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों को साबित नहीं किया गया है, क्योंकि इन दस्तावेजों के लेखक(कों) का दावा अधिकरण के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया है।

7. आगे यह तर्क किया गया कि अनावेदकों ने केवल अनावेदक–बीमा कंपनी के विधि अधिकारी का परीक्षण कराया है और किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। यहाँ तक कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक और स्वामी ने भी दावा आवेदन के जवाब में किए गए अभिवचनों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में कटघरे में प्रवेश नहीं किया। अतः, प्रकरण के तथ्यों में, यदि मृतक की उपेक्षा प्रतीत भी होती है, तो यह दोनों वाहनों के चालकों की ओर से सहभागी उपेक्षा की श्रेणी में आएगा। मृतक, वाहन के चालकों में से एक होने के नाते, साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सहभागी उपेक्षा के अनुपात में प्रतिकर का हकदार होगा।

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी–दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि दावा अधिकरण ने साक्षी आ.सा.–2 के साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत उसे अविश्वसनीय पाया है, क्योंकि दावा अधिकरण ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अपनी प्रति–परीक्षण में एक स्थान पर उसने कथन किया था कि वह स्वयं पिकअप वाहन चला रहा था और मृतक उसमें बैठा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक यानी अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दर्ज कराई गई थी और मृतक प्रदीप पाण्डेय की मृत्यु के पश्चात, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यदि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा बीमित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन स्वराज माजदा के चालक की ओर से कोई उपेक्षा हुई होती, तो पिकअप वाहन के स्वामी या क्लीनर में से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है कि मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की उपेक्षा के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा दावा प्रकरण के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

10. दावा आवेदन में किए गए अभिवचनों और अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों, जैसे कि प्रदर्श पी–1 पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट (खात्मा रिपोर्ट), प्रदर्श पी–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श पी–3 मर्ग सूचना से यह दर्शित होता है कि दुर्घटना में पिकअप वाहन के चालक, मृतक प्रदीप पाण्डेय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और उसके साथ पिकअप वाहन में यात्रा कर रहे अन्य व्यक्ति आ.सा.–2 को गंभीर चोटें आई थीं और इसलिए संबंधित पुलिस थाने में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक यानी अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं

था। मर्ग पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक प्रदीप मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था और उसके पश्चात दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक नीतीश गोंड द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

11. दावा अधिकरण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक एवं स्वामी (अनावेदक क्रमांक 1 और 2) द्वारा प्रस्तुत जवाब में किए गए अभिवचनों का अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मृतक की ओर से न तो परिवार के सदस्यों द्वारा और न ही पिकअप वाहन के स्वामी द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, और प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य वाहन स्वराज माजदा (दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन) के चालक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उपेक्षा मृतक की ओर से दिखाई गई थी, इसलिए अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दुर्घटना मृतक की एकमात्र उपेक्षा का परिणाम थी। वह अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन प्रतिकर का हकदार नहीं है, क्योंकि धारा 166 के अधीन प्रस्तुत दावा आवेदन में सफल होने के लिए दूसरों की ओर से उपेक्षा दर्शाना और साबित करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस न्यायालय की राय में, दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के प्रतीत होता है। जिन दस्तावेजों का अवलंब लिया गया है, जैसे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और मर्ग सूचना, उन्हें साबित नहीं किया गया है क्योंकि इन दस्तावेजों के लेखक(कों) का दावा अधिकरण के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है। अपराध की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों की प्रति को केवल अभिलेख पर प्रस्तुत कर देने मात्र से वे स्वतः ही साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हो जाते। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **नन्हू सिंह विरुद्ध जहीर, 2006 एसीजे 803** में प्रकाशित प्रकरण में इस विवाद्यक पर विचार करते हुए कि क्या दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज केवल प्रस्तुत कर देने मात्र से साक्ष्य में ग्राह्य होंगे,निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "12. उपरोक्त के आलोक में, हम इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अनुचित, दोषपूर्ण और एक प्रकार से दूषित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। अधिकरण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर इस प्रकार अवलंब लेने में त्रुटि की है जैसे कि वह पूर्ण सत्य हो, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, जैसे कि वह आइंस्टीन के सिद्धांत के समकक्ष हो। उपरोक्त के दृष्टिगत, हम उक्त निष्कर्ष से सहमत होने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार इसे निरस्त करते हैं।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध चामुंडेश्वरी व अन्य, (2021) 18 एससीसी 596** में प्रकाशित प्रकरण में, अधिकरण के समक्ष साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की स्वीकार्यता के विवाद्यक पर विचार करते हुए यह अवधारित किया है कि अधिकरण के समक्ष अभिलिखित मौखिक साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्षी अ.सा.–1 और अ.सा.–3 के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आयशर वैन, जो कार के आगे चल रही थी, ने बिना किसी संकेत या इंडिकेटर दिए अचानक दाहिनी ओर मोड़ लिया था। अ.सा.–1 और अ.सा.–3 के साक्ष्य सुस्पष्ट हैं, और आयशर वैन के चालक का परीक्षण कर किसी भी खंडनकारी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय ने पूर्णतः उचित रुप से अभिनिर्धारित किया है कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की उपेक्षा के कारण हुई थी। यह विचार करने योग्य है कि अ.सा.–1 स्वयं उसी कार में यात्रा कर रही थी और अ.सा.–3, जिसने पुलिस के समक्ष कथन किया था, का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध ऐसे साक्ष्यों के आलोक में, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को महत्व देने का कोई कारण नहीं है। यदि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कोई भी साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु के विपरीत है, तो अधिकरण के समक्ष अभिलिखित साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों, तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय के अभिमत में, दावा अधिकरण ने अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में किए गए अभिवचनों का अवलंब लेने में त्रुटि की है, जबकि उन्होंने दावा आवेदन में किए गए उन अभिवचनों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में कटघरे में प्रवेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों, जैसे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अभिलेख में उपलब्ध मर्ग सूचना रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में मानकर विचार करने में भी त्रुटि की है।

15. उपरोक्त विवेचना के आधार पर, दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों और जवाब में किए गए अभिवचनों के आधार पर दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि दुर्घटना में मृतक एकमात्र उपेक्षाकारी था संधारणीय नहीं है और इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है; विशेष रूप से तब, जब दो वाहनों के मध्य आमने–सामने की टक्कर हुई हो।

16. दावाकर्तागण ने साक्षी आ.सा.–2 का परीक्षण कराया है, जो उस पिकअप वाहन में सवार व्यक्तियों में से एक था जिसे मृतक चला रहा था। अपने साक्ष्य में, उसने स्पष्ट किया कि विपरीत दिशा से आ रहे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ने गलत दिशा से आकर पिकअप वाहन को टक्कर मारी थी। दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का चालक साक्षी के रूप में कटघरे में उपस्थित नहीं हुआ और अनावेदकों की ओर से मृतक की उपेक्षा साबित करने के लिए किसी अन्य साक्षी का परीक्षण भी नहीं कराया गया।

17. सहभागी उपेक्षा एक ऐसा तथ्य है जिसे उस पक्षकार द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है जो इसका दावा कर रहा है। यद्यपि वाहन के स्वामी और चालक ने अपने लिखित कथन में यह अभिवाक किया था कि मृतक स्वयं उपेक्षाकारी था, तथापि, वे साक्षी के रूप में कटघरे में उपस्थित नहीं हुए और इसलिए उनके द्वारा किया गया अभिवाक अप्रमाणित ही रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जीजू कुरुविला व अन्य विरुद्ध कुंजुजम्मा मोहन व अन्य,** (2013) 9 **एससीसी** 166 में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "**20.5** दुर्घटना के पश्चात वाहनों की केवल स्थिति, जैसा कि घटनास्थल महजर में दर्शाया गया है, एक या दूसरे पक्षकार की ओर से उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं हो सकता। जब विपरीत दिशाओं से आ रहे दो वाहन आपस में टकराते हैं, तो वाहनों की स्थिति और उनकी दिशा आदि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वाहनों की गति, टक्कर की तीव्रता, टक्कर का कारण, वह स्थान जहाँ एक वाहन ने दूसरे को टक्कर मारी, आदि। दुर्घटना स्थल से कोई व्यक्ति दुर्घटना होने के तरीके का सुझाव दे सकता है या अनुमान लगा सकता है, किंतु किसी प्रत्यक्ष या संपोषक साक्ष्य के अभाव में, इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्या चालक की ओर से उपेक्षा हुई थी। ऐसे प्रत्यक्ष या संपोषक साक्ष्यों के अभाव में, न्यायालय किसी व्यक्ति विशेष की उपेक्षा के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दे सकता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मीनू राउत व एक अन्य विरुद्ध सत्य प्रद्युम्न महापात्रा व अन्य, (2013) 10 एससीसी 695** में प्रकाशित प्रकरण में सहभागी उपेक्षा के विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "17. अधिकरण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना में, अभियोग–पत्र प्रदर्श–1 पर अत्यधिक अवलंब लेकर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष अभिलिखित किया है। अधिकरण ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि मृतक के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण उपशमित हो चुका था और निर्णय में यह अवधारित भी किया कि अपीलार्थीगण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अतः, अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना कारित करने में मृतक चालक की ओर से 50% सहभागी उपेक्षा थी। अधिकरण को यह देखना चाहिए था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत न करने का कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि ट्रक चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 179 सहपठित धारा 302 और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था। बीमा कंपनी ने, यद्यपि अधिकरण से मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 170(ख) के अधीन कार्यवाही का विरोध करने और दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के स्वामी के बचाव का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त की थी, फिर भी उसने मृतक सुशील राउत की ओर से सहभागी उपेक्षा के आरोप को साबित करने के लिए न तो ट्रक चालक का और न ही किसी अन्य स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी का परीक्षण करना चुना, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी क्योंकि वह कार को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चला रहा था। अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत खंडनकारी साक्ष्य के अभाव में, अधिकरण को अभियोग–पत्र (प्रदर्श–1) का अवलंब नहीं करना चाहिए था, जिसमें मृतक चालक को अभियुक्त के रूप में उल्लेखित किया गया था और उसकी मृत्यु पर उसका नाम अभियोग–पत्र से विलोपित कर दिया गया था। अधिकरण ने साक्षी अ.सा.–2 और अ.सा.–3 के प्रति–परीक्षण के दौरान उनके साक्ष्य से प्राप्त कुछ छिटपुट उत्तरों का उल्लेख किया और वाद–प्रश्न क्रमांक 1 पर निष्कर्ष अभिलिखित करने हेतु उनका अवलंब लिया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण क्षति पहुँची है, उसे इस आधार पर सहभागी उपेक्षा का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि यदि वह अधिक सतर्क और सावधान रहता तो दुर्घटना से बच सकता था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोदकुमार रसिकभाई झावेरी विरुद्ध कर्मसी**

कुंवरजी टाक व अन्य, (2002) 6 **एससीसी** 455 में प्रकाशित प्रकरण में यह अवधारित किया है जहाँ एक बार उपेक्षा होती है और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को संकट की ऐसी स्थिति में डाल देता है जो दूसरे पक्षकार को स्वयं को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु विवश करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरा पक्षकार ऐसा कदम उठाता है जो पश्चदृष्टि से देखने पर सर्वोत्तम उपाय प्रतीत नहीं होता, तब भी यह सहभागी उपेक्षा की श्रेणी में नहीं आता है।

20. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, मृतक की ओर से सहभागी उपेक्षा के साक्ष्य के अभाव में और साक्षी आ.सा.–2 के साक्ष्य पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक किसी भी प्रकार से इस दुर्घटना में उपेक्षाकारी था।

21. चूँकि दावा अधिकरण द्वारा प्रतिकर की गणना नहीं की गई है, अतः इस प्रकरण को प्रतिकर की राशि की गणना हेतु पुनः दावा अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है। दावा अधिकरण इस न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी के आधार पर कि मृतक को दुर्घटना में सहभागी रूप से उपेक्षाकारी नहीं माना जा सकता, तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, दावाकर्तागण को अधिनिर्णीत की जाने वाली राशि की गणना करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे **10 नवंबर** 2025 को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

23. तदनुसार, अपील उपरोक्त शर्तों सहित निराकृत की जाती है। दावा प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur